जयपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक :– एफ (   )/टीसीपी/2006–07/डी– 141   दिनांक:– 5/12/06

दिनांक 29.11.2006 को जेडीसी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित 52वीं ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड बैठक की कार्यवाही का विवरण।

(A) पुराने प्रकरण:–

1. दुर्घटना थानों एवं यातायात पुलिस द्वारा सीज किये गए वाहनों के लिए भू–आवंटन:–

प्रस्तुत निर्णय की अनुपालना के लिए जेडीए के स्तर पर किए गए विभिन्न प्रयासों से बोर्ड को अवगत करवाया गया। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए की 15 दिन में 2 थानों के लिए उक्त प्रयोजनार्थ भूमि चिन्हित करली जाए एवं आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ की जाए तथा बाकी 2 थानों के लिए आवंटन के लिए भूमि की तलाश जारी रखी जाए एवं शीघ्र–अतिशीघ्र बचे हुए 2 थानों को भी भू–आवंटन करने का प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाए। यातायात पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों के लिए केन्द्रिकृत डिपो स्थापित करने का सुझाव कट्स की तरफ से दिया गया, जिसकी समीक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक को अधीकृत किया गया।

संबंधित अधिकारी:– सचिव एवं सलाहकार टीसीबी तथा जेडीए के अतिरिक्त आयुक्त।

2. बजरी मण्डी को बम्बाला नाले के पास स्थानांतरित करना–

इस प्रकरण पर हुई प्रगति पर्याप्त नही पाई गई तथा यह निर्णय लिया गया की पुलिस अधीक्षक यातायात एवं सीई–2 संयुक्त रूप से मौके का मुआयना कर वांछित कार्यवाही के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगें जिसके अनुसार कार्यवाही की जाकर इस निर्णय की अनुपालना 15 दिन में सुनिश्चित की जाएगी।

संबंधित अधिकारी– पुलिस अधीक्षक यातायात एवं सीई–2।

3. प्राइवेट बस स्टेण्डो को शहर के बाहर स्थानांतरित करना–

इस निर्णय की अनुपालना के लिए एक सब–कमेटी का गठन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक यातायात, आरटीओ, उपायुक्त परिवहन, सर्तकता अधिकारी नगर निगम को शामिल किया जाकर यह अपेक्षा की गई की यह कमेटी सारी स्थिति का अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करेंगी, जिससे अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जा सके।

4. वर्धमान पथ को ट्रेफिक कलादीर्घा के रूप में विकसित करना–

सलाहकार ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड एवं मुस्कान प्रतिनिधि निदेशक भारतीय शिल्प संस्थान से मिलकर उनकी स्वीकृती प्राप्त करेंगें जिससे की उक्त प्रयोजनार्थ कमेटी का गठन किया जाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की जा सके।

संबंधित अधिकारी– सलाहकार टीसीबी एवं मुस्कान प्रतिनिधि।

5. स्कूलों में सड़क सुरक्षा एवं रोड़ शो का आयोजन–

इस कार्य के लिए वांछित बजट पुलिस अधीक्षक यातायात को उपलब्ध करवा दिया गया है। टीसीवी के स्तर पर कोई कार्यवाही किया जाना लंबित नही है अतः इस प्रकरण को टीसीवी कार्यवाही से अनुपालना की वजह से ड्रॉप किया जाता है।

6. जवाहर कला केन्द्र के सामने रोड़ कट बंद करना–

इस निर्णय की अनुपालना में वन विभाग को तीन वैकल्पिक प्रस्ताव भिजवाये गए है, जिन पर निर्णय करवाए जाकर इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

संबंधित अधिकारी– निदेशक (परियोजना) ।

7. फ्लाईओवर्स के नीचे की खाली जमीन का उपयोग–

इस प्रकरण की अनुपालना में कुछ फ्लाईओवर्स की जमीन पर काम प्रारंभ कर दिया गया है। यह निर्णय लिया गया की प्रत्येक फ्लाईओवर के लिए अलग से रिपोर्ट बनाई जाए एवं टीसीबी के समक्ष प्रत्येक प्रकरण को रखा जाकर बाद अनुमोदन अग्रिम कार्यवाही की जाए।

संबंधित अधिकारी– निदेशक (परियोजना)। ..

8. शहर में बस व्यवस्था को सुदृढ करना–

बीआरटीएस के प्रस्तावित परियोजना के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया की इस प्रकरण पर बीआरटीएस परियोजना के पश्चात नए सिरे से चर्चा की जाएगी अतः इस प्रकरण को ड्रॉप किया गया।

9. भवानी सिंह एवं तख्तेशाही रोड़ पर एकतरफा यातायात–

भवानी सिंह रोड़ को चौड़ा करने के लिए जेडीए एवं स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने जमीन दे दी है जिसके परिणाम स्वरूप यह रोड़ कुछ सीमा तक चौडी हो गई है परंतु संतोकबा दुर्लभजी, सुबोध स्कूल, एवं बिजली बोर्ड के सामने की जमीन आवाप्त नहीं की जा सकी है क्योंकि इस कार्यवाही पर स्टे लगा हुआ है। अतः निर्णय हुआ की इस प्रकरण पर जारी स्टे को खाली करवाने के प्रयास किए जाए।

संबंधित अधिकारी -- निदेशक (विधि)।

10. ट्रांसपोर्ट नगर से झालाना आगार तक रोड़ सुधार–

इस प्रकरण पर कोई प्रगति नही हो पाई है अतः पुनः निर्देश हुए कि इस कार्य को त्वरीयता से संपन्न करवाया जाए।

संबंधित अधिकारी -- निदेशक (अभियांत्रिकी)।

11. गोल्फ क्लब के अंबेडकर सर्किल स्थित गेट को बंद करना–

पुलिस अधीक्षक यातायात ने अवगत करवाया की यह गेट बंद हो चुका है अतः इस प्रकरण को ड्रॉप किया गया।

12. रामबाग सर्किल पर टोंक रोड़ के लिए स्लिप–लेन –

स्लिप–लेन का निर्माण हो चुका है अतः इस प्रकरण को ड्रॉप किया गया।

13. ट्रेफिक मोनीटरिंग सब–कमेटी के प्रतिवेदन पर चर्चा–

ट्रफिक मोनीटरिंग सब–कमेटी के प्रतिवेदनों में उठाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्देश दिए गए एवं इस प्रकरण को ड्रॉप किया गया।

14. ड्राईविंग लाईसेंस के लिए शिविर नही लगाना–

आरटीओ ने अवगत करवाया की इस निर्णय की अनुपालना की जा रही है अतः इस प्रकरण को ड्रॉप किया गया।

15. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को पुराने वाहनों के रजिस्टेशन हेतु बजट का आवंटन–

बजट आवंटन के लिए प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है तथा प्रस्तावित बजट आरटीओ को भिजवाया जा रहा है अतः इस प्रकरण को ड्रॉप किया गया।

(B) 52 वीं टीसीबी मीटिंग के प्रकरणः–

क) ढांचागत विकास :–

i) बीआरटीएस परियोजना–

बीआरटीएस परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में अब तक हुई प्रगति से बोर्ड को अवगत करवाया गया तथा इस परियोजना के चरणबद्ध क्रियान्वयन एवं संभावित अवरोधों को दूर करने पर चर्चा हुई। इस परियोजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में होने वाली प्रगति से बोर्ड को निरन्तर अवगत करवाने के लिए निर्णय हुआ की निदेशक (परियोजना) समय–समय पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन सलाहकार टीसीबी को भिजवाते रहेंगें जिससे ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड को प्रगति से अवगत करवाया जा सके।

संबंधित अधिकारी – निदेशक (परियोजना) एवं सलाहकार टीसीबी।

ii) एटीसीएस परियोजना–

एटीसीएस परियोजना कि अब तक की प्रगति से बोर्ड को अवगत करवाया गया तथा यह निर्णय हुआ की एम.आई.रोड़ कॉरिडोर पर लगाए जा रहे एटीसी सिस्टम का उद्घाटन जनवरी के प्रथम सप्ताह में करवाया जाए। यादगार में स्थापित किए जाने वाले कंट्रोल रूम को एक सप्ताह में तैयार करवाकर सीडेक को उपलब्ध करवा दिया जाए जिससे की वह सारे सिस्टम की कनेक्टिविटी एवं लिंकेज को सुनिश्चित कर इसे निर्धारित तिथि से पूर्व फंक्शनल बना सकें।

संबंधित अधिकारी –सीई–2, श्रीदेव (अभियन्ता, सीडेक) , पुलिस अधीक्षक यातायात।

iii) सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं यातायात संसाधन केन्द्र की स्थापना–

जगतपुरा स्थित आरटीओ परिसर में उक्त संस्थानों की स्थापना के संबंध में मारूति एवं सेल इंडिया द्वारा विकसित मॉडल्स के अध्ययन का निर्णय किया गया तथा इस संबंध में विकसित देशों में उपलब्ध व्यवस्थाओं के अध्ययन का भी सुझाव दिया गया। यह निर्णय हुआ की सलाहकार टीसीबी इस संबंध में संबंधित अधिकारियों एवं संस्थाओं से संपर्क स्थापित कर एक प्रस्ताव तैयार कर टीसीबी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

संबंधित अधिकारी – सलाहकार टीसीबी।

iv) रोड़ सेफ्टी काउंसिल की स्थापना –

कट्स संस्थान की ओर से यह सुझाव आया की सड़क सुरक्षा के संबंध में एक रोड सेफ्टी काउंसिल कि स्थापना की जानी चाहिए। यह निर्णय हुआ की कट्स इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव बनाकर भिजवायेंगे जिसकी समीक्षा की जाकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

संबंधित अधिकारी – कट्स।

v) आरयूआईडीपी के यातायात प्रतिवेदन का अध्ययन एवं क्रियान्वयन –

यह निर्णय लिया गया की आरयूआईडीपी की रिपोर्ट की समग्र समीक्षा, वर्तमान यातायात स्थितियों के संदर्भ में जो बिन्दु तथा सुझाव लागू किये जाने योग्य है, उनको लागू करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाकर चरणबद्ध तरीके से इस कार्ययोजना पर अमल किया जाकर यातायात सुधार के प्रयास किए जाए। यह निर्णय लिया गया की पुलिस अधीक्षक यातायात इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट 10 दिन में प्रस्तुत करेंगी तथा इस बारे में एक पॉवर प्रेजेंटेशन भी तैयार करेंगी।

संबंधित अधिकारी – पुलिस अधीक्षक यातायात।

vi) रोड कट्स, डाईवर्जन एवं दुर्घटना संवेदी स्थलों कि पहचान –

यह निर्णय लिया गया की जयपुर शहर की विभिन्न सडको के कट्स, डाईवर्जन्स एवं अन्य स्थितियां जो सड़क दुर्घटना का कारण बनती है उनका अध्ययन नियमित तौर पर किया जाता रहे एवं किये गए अध्ययन के आधार पर संबंधित दुर्घटना संवेदी स्थल में सुधार करवाया जाए।

संबंधित अधिकारी – पुलिस अधीक्षक यातायात, सीई–2 ।

प्रौद्योगिकी सुधार :–

प्रभावी यातायात संचालन एवं यातायात नियमों की कारगर अनुपालना के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक एवं अद्यतन यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद की जाकर यातायात पुलिस को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया जिससे इस कार्य हेतु आवंटित बजट का प्रभावी एवं कुशल उपयोग संभव हो सके। इस बारे में निर्णय हुआ कि पुलिस अधीक्षक यातायात अपने अलग–अलग प्रस्ताव प्रत्येक कार्य, उपकरण एवं यंत्र के लिए सलाहकार टीसीबी को भिजवायेंगी जिससे की प्रासंगिक आइटम की खरीद के लिए

प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृतियां जारी करवायी जाकर वांछित संसाधन एवं उपकरण यातायात पुलिस को उपलब्ध करवाए जा सके।

संबंधित अधिकारी – पुलिस अधीक्षक यातायात एवं सलाहकार टीसीबी।

ग) प्रशासकीय, मानवीय एवं प्रक्रियात्मक सुधार :–

जनसामान्य में सड़क सुरक्षा की चेतना विकसित करने के लिए समाज के सभी वर्गो की सहभागिता एवं पहल का होना आवश्यक है अतः निर्णय हुआ कि सडक शिक्षा, सडक सुरक्षा कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा साहित्य इत्यादि प्रयासो को व्यापक बनाने के लिए समाज के विविध वर्गो से संपर्क स्थापित किया जाकर उनका योगदान एवं भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यातायात पुलिस, एनजीओज़ तथा अन्य संबंधित विभाग इस क्षेत्र में की जा रही कार्यवाही में समाज के सभी वर्गो यथा प्रेस, मीडिया, प्रबुद्ध जन, शिक्षक चिकित्सक, राजनितिज्ञ, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी एवं श्रमिक वर्गो को अपने विविध कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे।

संबंधित अधिकारी – यातायात पुलिस, परिवहन विभाग एवं एनजीओज़।

घ) विविध विषय :–

i) वैशाली नगर से झालाना सड़क मार्ग का सुधार –

शहर की प्रत्येक सड़क की यातायात स्थितियों के अध्ययन के लिए संबंधित क्षेत्र के ट्रेफिक कर्मचारी एवं अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र की सड़को का विस्तृत अध्ययन कर यह पता लगाएंगे की संबंधित सड़क की यातायात संबंधी कौन–कौन सी दिक्कते है, कहां–कहां पर ट्रेफिक अवरूद्ध होता है, कहां–कहां पर अवांछनीय कट है तथा किन–किन स्थानो पर क्या–क्या कार्य करवाने से यातायात संचालन सुगम एवं सहज बन सकता है। इस क्रम में वैशाली नगर से झालाना सांस्थानिक क्षेत्र तक के यातायात रूट का अध्ययन करने का निर्णय लिया जाकर उसमें सुधार किए जाने पर सहमति बनी। इसी कम में यह भी निर्णय हुआ की प्रत्येक पखवाडे में एक सड़क रूट का अध्ययन किया जाकर पुलिस अधीक्षक संबंधित रूट का प्रतिवेदन सलाहकार टीसीबी को प्रस्तुत करेंगी जिसके आधार पर उस रूट को सुधारने के कार्य किए जाएंगे।

संबंधित अधिकारी – पुलिस अधीक्षक यातायात एवं सलाहकार टीसीबी।

ii) बजरी मण्डी, अनाज मण्डी, सब्जी मण्डी इत्यादि को स्थानांतरित करना –

यह निर्णय लिया गया की उपर्युक्त सभी प्रकार की मण्डियों को जो यातायात के लिए अवरोध पैदा कर रही है को स्थानांतरित किए जाने कि वैकल्पिक व्यवस्था एवं स्थानों के बारे में प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार किए जाएंगे जिन पर टीसीबी मे चर्चा की जाकर मुनासिब निर्णय लिए जाएंगे।

संबंधित अधिकारी – पुलिस अधीक्षक यातायात।

iii) ट्रेफिक लाईटस का एलईडी में रूपांतरण एवं उनका रख–रखाव –

पुलिस अधीक्षक यातायात ने अवगत करवाया की ट्रेफिक लाईटस को एलईडी में रूपांतरित करने से ट्रेफिक संचालन में सुविधा रहती है अतः निर्णय लिया गया कि

जिन ट्रेफिक लाईटस को एलईडी में रूपांतरित किया जाना है उनकी एक सूची भिजवायी जाए जिससे की उनके रूपांतरण का चरणबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। इसके साथ ही ट्रेफिक लाईटस के रख–रखाव एवं यातायात दबाव के मुताबिक प्रत्येक दिशा के लिए निर्धारित समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किये जाने की जरूरत महसूस की गई । इस कार्य को संपन्न करने वाली फर्म शक्ति एन्टरप्राईजेज का कार्य संतोषजनक नही पाए जाने के तथ्य भी प्रकट हुए। अतः निर्णय लिया गया की सार्वजनिक निर्माण विभाग जो इस कार्य को संपन्न करता है वह इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही अमल में लाएंगे।

संबंधित अधिकारी – पुलिस अधीक्षक यातायात एवं मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।

iv) रोड़ लाईनिंग एवं साईनेजेज के लिए रेट कॉन्ट्रेक्ट –

पुलिस अधीक्षक यातायात ने अवगत करवाया की रोड लाईनिंग एवं साईनेजेज का कार्य लगातार चलने वाली गतिविधि है अतः इस कार्य के लिए रेट कॉन्ट्रेक्ट तय हो जाए तो इस महत्वपूर्ण कार्य को तत्काल संपन्न करवाये जाने में आसानी रहेगी। अभियांत्रिकी शाखा की ओर से अवगत करवाया गया की इस बारे में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अंतिम निर्णयात्मक स्थिति से टीसीबी को अवगत करवाये जाने के अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए।

संबंधित अधिकारी – पुलिस अधीक्षक यातायात एवं निदेशक अभियांत्रिकी।

v) जगतपुरा निर्माणाधीन (ओवरब्रिज) के पास स्थित पुलिस चौकी का स्थानांतरण –

उक्त चौकी कि वजह से प्रासंगिक ओवरब्रिज के निर्माण में अवरोध उत्पन्न हो रहा है अतः इसे निर्माण कार्य तक अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के तथ्य पर निर्णय हुआ कि वर्तमान चौकी के पास ही अन्य स्थान पर अस्थायी स्ट्रक्चर बनाया जाकर चौकी को अस्थायी तौर पर स्थानांतरित कर दिया जाए।

संबंधित अधिकारी – जोनल अभियन्ता–9 ।

vi) सड़को पर बने डिजीटल सूचना पट्ट कि उपादेयता –

टीसीबी के ध्यान में लाया गया कि विभिन्न सड़को पर बने डिजीटल सूचना पट्ट वाहन चालको का ध्यान आकर्षित करते है जिसकी वजह से सड़क असुरक्षा की स्थितियां बनती है। इस बिन्दु पर बोर्ड के सदस्यों के बीच मत वैभिन्य की स्थिति के कारण निर्णय हुआ की इस बारे में और अधिक सूचना एवं तथ्य संग्रह किए जाकर अगली टीसीबी मीटिंग में तथ्यात्मक स्थिति से अवगत करवाया जाए। तब तक नए बोर्ड नहीं लगाए जाने का निर्णय हुआ।

संबंधित अधिकारी – पुलिस अधीक्षक यातायात एवं निदेशक अभियांत्रिकी

vii) ज्योतिबा फूले सर्किल कि री–डिजाईनिंग –

इस बिन्दु पर पर्याप्त चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया की चूंकि इस सर्किल का क्षेत्र बीआरटीएस के मार्ग पर स्थित है अतः इस समय इस बारे में कोई निर्णय किया जाना उपयुक्त नही रहेगा एवं बीआरटीएस कि परियोजना के कियान्वयन के दौरान इस बारे में जो स्थिति स्पष्ट होगी उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा।

जिन ट्रेफिक लाईटस को एलईडी में रूपांतरित किया जाना है उनकी एक सूची भिजवायी जाए जिससे की उनके रूपांतरण का चरणबद्ध कार्यकम प्रारंभ किया जा सके। इसके साथ ही ट्रेफिक लाईटस के रख–रखाव एवं यातायात दबाव के मुताबिक प्रत्येक दिशा के लिए निर्धारित समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किये जाने की जरूरत महसूस की गई । इस कार्य को संपन्न करने वाली फर्म शक्ति एन्टरप्राईजेज का कार्य संतोषजनक नही पाए जाने के तथ्य भी प्रकट हुए। अतः निर्णय लिया गया की सार्वजनिक निर्माण विभाग जो इस कार्य को संपन्न करता है वह इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही अमल में लाएंगे।

संबंधित अधिकारी – पुलिस अधीक्षक यातायात एवं मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग।

iv) <u>रोड़ लाईनिंग एवं साईनेजेज के लिए रेट कॉन्ट्रेक्ट</u> –

पुलिस अधीक्षक यातायात ने अवगत करवाया की रोड़ लाईनिंग एवं साईनेजेज का कार्य लगातार चलने वाली गतिविधि है अतः इस कार्य के लिए रेट कॉन्ट्रेक्ट तय हो जाए तो इस महत्वपूर्ण कार्य को तत्काल संपन्न करवाये जाने में आसानी रहेगी। अभियांत्रिकी शाखा की ओर से अवगत करवाया गया की इस बारे में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अंतिम निर्णयात्मक स्थिति से टीसीबी को अवगत करवाये जाने के अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए।

संबंधित अधिकारी – पुलिस अधीक्षक यातायात एवं निदेशक अभियांत्रिकी।

v) <u>जगतपुरा निर्माणाधीन (ओवरब्रिज) के पास स्थित पुलिस चौकी का स्थानांतरण</u> –

उक्त चौकी कि वजह से प्रासंगिक ओवरब्रिज के निर्माण में अवरोध उत्पन्न हो रहा है अतः इसे निर्माण कार्य तक अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के तथ्य पर निर्णय हुआ कि वर्तमान चौकी के पास ही अन्य स्थान पर अस्थायी स्ट्रक्चर बनाया जाकर चौकी को अस्थायी तौर पर स्थानांतरित कर दिया जाए।

संबंधित अधिकारी – जोनल अभियन्ता–9 ।

vi) <u>सड़को पर बने डिजीटल सूचना पट्ट कि उपादेयता</u> –

टीसीबी के ध्यान में लाया गया कि विभिन्न सड़को पर बने डिजीटल सूचना पट्ट वाहन चालको का ध्यान आकर्षित करते है जिसकी वजह से सड़क असुरक्षा की स्थितिया बनती है। इस बिन्दु पर बोर्ड के सदस्यों के बीच मत वैभिन्य की स्थिति के कारण निर्णय हुआ की इस बारे में और अधिक सूचना एवं तथ्य संग्रह किए जाकर अगली टीसीबी मीटिंग में तथ्यात्मक स्थिति से अवगत करवाया जाए। तब तक नए बोर्ड नही लगाए जाने का निर्णय हुआ।

संबंधित अधिकारी – पुलिस अधीक्षक यातायात एवं निदेशक अभियांत्रिकी।

vii) <u>ज्योतिबा फूले सर्किल कि री–डिजाईनिंग</u> –

इस बिन्दु पर पर्याप्त चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया की चूंकि इस सर्किल का क्षेत्र बीआरटीएस के मार्ग पर स्थित है अतः इस समय इस बारे में कोई निर्णय किया जाना उपयुक्त नही रहेगा एवं बीआरटीएस कि परियोजना के कियान्वयन के दौरान इस बारे में जो स्थिति स्पष्ट होगी उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा।

viii) जवाहर सर्किल (ईपी सर्किल) पर यातायात संचालन –

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए आने जाने का मार्ग जवाहर सर्किल की तरफ खुलने एवं स्टेट हेंगर की एंट्री जेएलएन मार्ग से होने तथा जवाहर सर्किल पर ईपी की तरफ रोड़ बंद होने की वजह से वीआईपी मूवमेंट रोंग साईड से किया जाता है जो उपयुक्त नही है। अतः जवाहर सर्किल पर यातायात संचालन को नए सिरे से देखा जाना जरूरी है। इस बारे में एक प्रस्ताव निदेशक नगर नियोजन की तरफ से प्रस्तुत किया गया जिस पर चर्चा के बाद निर्णय हुआ की यातायात पुलिस एवं नगर नियोजन शाखा संयुक्त तौर पर जमीनी स्थिति की समीक्षा करेंगे तथा यातायात व्यवस्था सहज, सुगम एवं सुरक्षित हो उसके अनुसार जवाहर सर्किल पर यातायात संचालन की नई व्यवस्था को लागू करेंगे।

संबंधित अधिकारी – पुलिस अधीक्षक यातायात एवं निदेशक (नगर नियोजन)।

ix) स्कूली छात्रो द्वारा अनाधिकृत वाहन चालन एवं स्कूलो पर पार्किंग समस्या –

अध्यक्ष महोदय ने अवगत करवाया कि समी स्कूलो में काफी संख्या में छात्र वाहन लेकर आते है जबकि स्कूली छात्रो के पास आमतौर पर वाहन अनुज्ञा–पत्र नही होते है। इस स्थिति पर अंकुश के लिए स्कूलो पर यातायात चेकिंग की जानी चाहिए क्योकि यह छात्र एक तरफ जहां अनाधिकृत तौर पर वाहन चलाते है वही गैर उत्तरदायी तरीके से वाहन चलाकर सड़क असुरक्षा की स्थितियां भी पैदा करते है। इसी कम में यह भी अवगत करवाया गया की पेरेंट टीचर मीट के दौरान एवं अन्यथा भी स्कूलो में पार्किंग स्थान उपलब्ध होने के बावजूद वाहनों कि पार्किंग सड़को पर की जाती है जिससे की यातायात संचालन में गंभीर अवरोध पैदा होकर सड़क असुरक्षा की स्थितियां बनती है। इस संदर्भ में यह निर्णय हुआ कि यातायात पुलिस द्वारा एक नियमित संपर्क कार्यकम के अन्तर्गत इस समस्या के निराकरण के लिए स्कूलो के साथ अर्थपूर्ण अंतःकिया स्थापित की जाए तथा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से इस समस्या के निराकरण के लिए ठोस प्रयास किए जाए।

संबंधित अधिकारी – यातायात पुलिस एवं मुस्कान।

x) बहुमंजिला इमारतें एवं पार्किंग समस्या –

बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की वजह से पार्किंग की गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने कि विविध स्थितियों पर चर्चा की गई एवं यह निर्णय हुआ कि इस बारे में जो भी सदस्य अपने सुझाव देना चाहते है वे अपने सुझाव निदेशक नगर नियोजन को प्रस्तुत करदें। इस संबंध में जेडीए द्वारा अब तक की गई कार्यवाही एवं सतर्कता के उपायों से अध्यक्ष महोदय ने टीसीबी को अवगत करवाया।

संबंधित अधिकारी – सलाहकार टीसीबी एवं निदेशक (नगर नियोजन) ।

xi) गौरव टॉवर पर पार्किंग समस्या –

अध्यक्ष महोदय ने अवगत करवाया की गौरव टॉवर पर पांच सौ वाहनो को पार्क करने के लिए बहुमंजिला पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध है परंतु इस व्यदस्था का उपयोग नही किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप यहां पर पार्किंग की समस्या, विशेषकर अवकाश के दिनों में, गंभीर हो जाती है अतः निर्देश हुए की गौरव टॉवर के व्यापारियों एवं कर्मचारियों के वाहन इस पार्किंग स्थल पर पार्क करवायें जाए जिससे इन वाहनों की वजह से जो जगह रूकती है वह खाली होने की स्थिति में ग्राहको द्वारा उपयोग मे

लाई जा सकें। इसी प्रकार ब्रिज के नीचे से जो वाहन आकर ब्रिज के उपर चढते है उनकी वजह से भी सड़क असुरक्षा कि स्थितियां बनती है अतः इन वाहनों के लिए कोई अभियांत्रिकी समाधान खोजा जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

संबंधित अधिकारी -- यातायात पुलिस, निदेशक (परियोजना) एवं (अभियांत्रिकी)।

xii) <u>सड़को पर यातायात दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गो की पहचान</u>--

शहर में बहुत से ऐसे मार्ग है जिन पर यातायात संचालन कम होता है तथा जिन सड़को पर यातायात की अधिकता है उन मार्गो के वाहन चालकों को वैकल्पिक सुविधा इन मार्गो को विकसित कर दी जा सकती है। इस कम में माउंट रोड़, एमडी रोड़, झालाना रोड़ इत्यादि सड़क मार्गो को विकसित किए जाने पर चर्चा हुई। यह निर्णय हुआ की इस प्रकार के मार्गो का अध्ययन कर एक प्रतिवेदन एवं कार्ययोजना पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

संबंधित अधिकारी -- पुलिस अधीक्षक यातायात।

xiii) <u>कट्स संस्थान द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर चर्चा</u> --

कट्स संस्थान द्वारा यातायात संचालन कि विविध असंतोषजनक स्थितियों एवं उनके निराकरण के संबंध में एक नोट प्रस्तुत किया गया जिस पर टीसीबी में चर्चा हुई तथा यह निर्णय लिया गया की इस नोट कि समीक्षा स्टीयरिंग कमेटी द्वारा की जाए एवं दर्शाये गए बिन्दुओं एवं सुझावों के अनुसार कार्य करने के लिए इस नोट को सभी संबंधित ईकाईयों को भिजवा दिया जाए।

संबंधित अधिकारी -- सलाहकार टीसीबी एवं स्टीयरिंग कमेटी।

xiv) <u>स्टीयरिंग कमेटी का गठन</u> --

टीसीबी के निर्णयों की प्रभावी एवं सामयिक अनुपालना के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी गठित किए जाने का निर्णय लिया गया जो पाक्षिक तौर पर चर्चा कर टीसीबी निर्णयों की अनुपालना की समीक्षा करेगी एवं टीसीबी के एजेण्डा बिन्दुओं के बारे में भी सूचना संग्रह करेगी। यह कमेटी टीसीबी कि एक अधिकृत एवं प्रभावी रूप से काम करने वाली कार्यकारी शाखा होगी एवं सभी प्रकार के टीसीबी निर्णयों की अनुपालना संबंधित ईकाईयों से करवाने के लिए अधिकृत होगी। इस कमेटी के गठन के आदेश शीघ्र जारी किए जाए।

संबंधित अधिकारी -- सचिव (जेडीए)

वाहन चालकों से कंजेशन चार्जेज वसूलने, दूसरे वाहन के क्रय पर अतिरिक्त कर लगाने, पुराने वाहनों को सड़को से हटाने एवं पुराने वाहनो के विक्रय पर सेश लगाने जैसे बिन्दु भी टीसीबी में उठाये गए जिन पर यह निर्णय हुआ कि जो भी सदस्य इन बिन्दुओं पर अपने विचार एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते है वे स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करदें जिनकी समीक्षा की जाकर एक्शनेबल बिन्दुओं को निर्णय के लिए स्टीयरिंग कमेटी द्वारा टीसीबी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए की टीसीबी कि बैठक दो माह में एक बार आयोजित की जाएगी तथा सभी सदस्यों को आगामी बैठक का एजेण्डा, एटीआर के साथ मीटिंग के तीन दिन पूर्व भिजवा दिया जाए।

मीटिंग का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ किया गया।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. महापौर नगर निगम जयपुर
2. कलेक्टर जयपुर
3. परिवहन आयुक्त राजस्थान जयपुर
4. निदेशक आरयूआईडीपी जयपुर
5. प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर
6. सलाहकार, ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड जविप्रा
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर
8. आयुक्त राजस्व नगर निगम जयपुर
9. पुलिस अधीक्षक यातायात जयपुर
10. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी जविप्रा
11. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात जयपुर
12. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर
13. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर
14. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 जयपुर
15. मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर
16. निदेशक वित्त जविप्रा
17. निदेशक नगर आयोजना जविप्रा
18. निदेशक परियोजना जविप्रा
19. निदेशक अभियांत्रिकी जविप्रा
20. निजी सचिव आयुक्त जविप्रा
21. निजी सचिव, सचिव जविप्रा
22. सर्किल अभियन्ता –द्वितीय जविप्रा
23. सिस्टम एनेलिस्ट जविप्रा
24. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा
25. जोनल अभियन्ता –9 जविप्रा
26. श्री प्रमोद भसीन मुस्कान संस्था प्रतिनिधि 45, हथरोई अजमेर रोड जयपुर
27. श्री प्रदीप एस मेहता, महासचिव, कट्स, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयंपुर

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण